



# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

फोन: 0291 -5153702  
0291 -5153704

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau\_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक:- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(BOM)/(01)/V/06-07/6933-6949

दिनांक: 21-9-23

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय एवं प्राचार्य, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
3. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
4. प्रो. पंकज शर्मा, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
5. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
6. डॉ. विमल कुमार कावत, सदस्य, 327/7, उदय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर
7. डॉ. रमेश कुमार श्री वैष्णव (प्रतिनिधि) शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
8. श्री दिनेश कुमार बारहठ (प्रतिनिधि, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर)
9. डॉ. आनन्द शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
10. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
11. प्रो. महेश दीक्षित, प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
12. डॉ. अशोक शर्मा, 58-बजाज नगर एनकलेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर-302015
13. डॉ. विश्वावसु गौड़, 80, सेनापति हाऊस के पीछे, प्रेम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर-302012
14. डॉ. ऋतुराज शर्मा, प्राचार्य, शेखावटी आयुर्वेद महाविद्यालय, पिलानी
15. डॉ. राकेश कुमार शर्मा, एसो.प्रोफेसर, रचना शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
16. डॉ. मनोज नैसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
17. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषय :- डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का 28वां उपवेशन दिनांक 15.09.2023 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का 28वां उपवेशन, जो दिनांक 15 सितम्बर 2023 को दोपहर 3.30 बजे विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर में व्यक्तिशः/विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 2 से 10 तक।

भवदीय

  
कुलसचिव

BOM - 01

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्  
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रबन्ध बोर्ड का 28वां उपवेशन

**15 सितम्बर 2023**

कार्यवाही विवरण



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर  
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर



# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

फोन: 0291 -2795302  
0291 -2795304

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)

Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau\_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक:- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(BOM)/(01)/V/06-07/

दिनांक:

## कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड का 28वां उपवेशन, जो दिनांक 15 सितम्बर 2023 को दोपहर 3.30 बजे विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः/विडियो कॉन्फ्रेंस उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय एवं प्राचार्य, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
3. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
4. प्रो. पंकज शर्मा, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
5. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
6. डॉ. विमल कुमार कावत, सदस्य, 327/7, उदय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर
7. डॉ. अशोक शर्मा, 58-बजाज नगर एनकलेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर-302015
8. डॉ. रमेश कुमार श्री वैष्णव (प्रतिनिधि), शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
9. श्री दिनेश बारहट (प्रतिनिधि, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर)
10. डॉ. विश्वावसु गौड, 80, सेनापति हाऊस के पीछे, प्रेम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर-302012
11. डॉ. राकेश कुमार शर्मा, एसो.प्रोफेसर, रचना शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
12. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए :-

1. डॉ. आनन्द शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
2. प्रो. महेश दीक्षित, प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
3. डॉ. ऋतुराज शर्मा, प्राचार्य, शेखावटी आयुर्वेद महाविद्यालय, पिलानी

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
2. डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

BOM - 03

सर्वप्रथम प्रबन्ध बोर्ड के दिनांक 15 सितम्बर 2023 को आयोजित 28 वां उपवेशन में उपस्थित सदस्य महानुभावों का माननीय कुलपति महोदय एवं कुलसचिव द्वारा स्वागतोपरान्त एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:-

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
1.	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 09.03.2023 के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना का अनुमोदन।	एजेण्डा स. 5 के अनुसार बी.ए.एम.एस/बी.एच.एम.एस/बी.यू.एम.एस. का शुल्क 60,000/- प्रतिवर्ष सत्र 2023-24 से लिये जाने का निर्णय लिया गया तथा राज्य सरकार को इन्टर्नशिप भत्ता वहन करने हेतु लिखा जाने का निर्णय लिया गया। शेष बिन्दुओं का सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया गया।
2.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 27.06.2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 27.06.2023 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया गया। साथ ही अकादमी एवं स्वास्थ्य सम्वर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने हेतु उपाधि प्रदान किये जाने वाले व्यक्तियों के चयन के लिए एक पॉच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया, समिति के सदस्यों में से एक सदस्य अन्य विश्वविद्यालय के माननीय सेवानिवृत्त/वर्तमान कुलपति होंगे, साथ ही प्रत्येक 02 वर्ष में एक बार मानद डॉक्टरेट उपाधि दिये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारी हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 31.03.2023 एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2023 की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
4	सहायक फार्मासिस्ट का पदनाम परिवर्तन कर फार्मासिस्ट करने पर विचार-विमर्श कर अनुमोदन करने बाबत।	सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए एनसीआईएसएम/एनसीएच के मानक के अनुरूप पदनाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाने का निर्णय लिया गया।
5.	विश्वविद्यालय के संघटक आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक महाविद्यालय में एन.सी.आई.एस.एम. ओर एन.सी.एच. के निरीक्षण एवं पूर्व में <b>Shortcoming</b> की पालना में अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षकों (यू.टी.बी.) का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6.	दिनांक 12.09.2023 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति से बन्द लिफाफे में प्राप्त अनुषंशा का अनुमोदन।	(अ) प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विभागीय पदोन्नति समिति से प्राप्त बन्द लिफाफे में प्राप्त अनुषंशा के आधार पर निम्न शैक्षणिक विभाग/संकाय सदस्यों के पदोन्नति दिये जाने का निर्णय लिया गया। 1. <b>मौलिक सिद्धान्त विभाग :-</b> (i). डॉ. देवेन्द्र सिंह चाहर, सहायक आचार्य से सह-आचार्य 2. <b>क्रिया शारीर विभाग :-</b> (i). डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा, सहायक आचार्य से सह-आचार्य 3. <b>रचना शारीर विभाग :-</b> (i). डॉ. श्योराम शर्मा, सहायक आचार्य से सह-आचार्य 4. <b>रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग :-</b> (i). डॉ. मनीषा गोयल, सहायक आचार्य से सह-आचार्य 5. <b>द्रव्यगुण विभाग :-</b> (i). डॉ. चन्दन सिंह, सह-आचार्य से आचार्य (ii). डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पूर्विया, सहायक आचार्य से सह-आचार्य (iii). डॉ. मनोज कुमार अदलक्खा, सहायक आचार्य से सह-आचार्य 6. <b>अगदतन्त्र विभाग :-</b> (i). डॉ. रितु कपूर, सहायक आचार्य से सह-आचार्य



क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
		<p>7. रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग :-  (i). डॉ. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, सह-आचार्य से आचार्य  (ii). डॉ. अरूण दाधीच, सहायक आचार्य से सह-आचार्य</p> <p>8. कायचिकित्सा विभाग :-  (i). डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा, सह-आचार्य से आचार्य  (ii). डॉ. ब्रह्मानन्द शर्मा, सहायक आचार्य से सह-आचार्य</p> <p>9. पंचकर्म विभाग :-  (i). डॉ. ज्ञान प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य से सह-आचार्य</p> <p>10. शल्यतंत्र विभाग :-  (i). डॉ. राजेश कुमार गुप्ता, सह-आचार्य से आचार्य  (ii). डॉ. विष्णु दत्त शर्मा, सहायक आचार्य से सह-आचार्य</p> <p>11. कौमारभृत्य विभाग :-  (i). डॉ. प्रेम प्रकाश व्यास, सह-आचार्य से आचार्य  (ii). डॉ. हरीश कुमार सिंघल, सहायक आचार्य से सह-आचार्य</p> <p>12. स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग :-  (i). डॉ. ए. नीलिमा रेड्डी, सह-आचार्य से आचार्य  (ii). डॉ. रश्मि शर्मा, सहायक आचार्य से सह-आचार्य  (ब) डॉ. राजबीर सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, शालाक्य तंत्र) के निलम्बन रहने के कारण एवं सीसीए रूल्स 16 के चार्जशीट के तहत जारी जांच के लम्बित रहने के कारण पदौन्नति हेतु लिफाफा बन्द रखने का निर्णय लिया गया।  (स) डॉ. राजेश कुमार शर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर, क्रिया शारीर) के पदौन्नति प्रकरण में माननीय सदस्य श्री विमल कांवल एवं श्री विश्वावसु गौड़ द्वारा डॉ. राजेश कुमार शर्मा के प्रकरण में जारी जांच पर राज्य सरकार के विधिक विभाग से राय लेकर पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखकर निर्णय किया जावे जबकि अन्य</p>



क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
		सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डॉ. राजेश कुमार शर्मा के विरुद्ध सीसीए रूल्स 16 एवं 17 में किसी प्रकार की कार्यवाही विचाराधीन न होने के कारण उनके विरुद्ध चल रही जांच की विधिक राय प्राप्त करने एवं विधिक राय अनुसार बन्द लिफाफा खोलने एवं तदुपरान्त निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वर्ग में एकांकी पदों पर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.08.2023 के अनुसार वांछित अनुभव एवं योग्यता पूर्ण करने पर एकांकी पद को क्रमोन्नत करते हुए पदोन्नति प्रदान किए जाने हेतु विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8.	विश्वविद्यालय में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के नियमों को यथास्वरूप अपनाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9.	नकल सम्बन्धित (Unfairmeans Case) प्रकरणों में कमेटी द्वारा लिए गये निर्णय के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
10.	विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श।	एनसीआईएसएम की अधिसूचना 16.02.2022 के निर्णय को लागू किए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
<b>11. अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।</b>		
1.	1. विद्या परिषद् उपवेशन दिनांक 11.01.2022 अनुपूरक एजेण्डा तथा प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 08.02.2022 के अनुमोदनानुसार संवर्गवार सीटों के आवंटन की गणना में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुसार 0.99 तक के अंक विभाजन में सीट की गणना नहीं की जाकर पूर्णांक पर ही सम्बन्धित विभाग में सीट आवंटित किए जाने के प्रावधान को संशोधित किया जाकर सीट मैट्रिक्स की गणना आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के (AACCC Counselling Cell) के परिपत्र दिनांक 11.09.2023 के Annexure-I के बिन्दु 02 (b) के अनुसार "If the decimal comes blow 0.50, it will be considered as the nearest next lower digit. If it comes equal to or exceeds 0-50, it will be considered as the nearest next upper digit." की पालना सुनिश्चित	पी.जी.आई.ए. के जोधपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया सीट मैट्रिक्स की गणना आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के (AACCC Counselling Cell) के परिपत्र दिनांक 11.09.2023 के Annexure-I के बिन्दु 02 (b) के अनुसार "If the decimal comes blow 0.50, it will be considered as the nearest next lower digit. If it comes equal to or exceeds 0-50, it will be considered as the nearest next upper digit." की पालना सुनिश्चित

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	<p>के अनुसार "If the decimal comes blow 0.50, it will be considered as the nearest next lower digit. If it comes equal to or exceeds 0-50, it will be considered as the nearest next upper digit." की पालना सुनिश्चित किए जाते हुए पी.जी.आई.ए. के जोधपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित किये जाने पर विचार-विमर्श।</p>	<p>किया जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया गया।</p>
2.	<p>International Centre of AYUSH Studies (Draft Proposal)</p>	<p>सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। पीएच.डी. में उल्लेखित नियमों के अनुसार <b>International Centre of AYUSH Studies</b> को संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा एक पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय से एवं पर्यवेक्षक/सहपर्यवेक्षक विश्वविद्यालय से पृथक अन्य संस्थानों का आवश्यकतानुसार नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। पीएच.डी. धारित प्रत्येक विषय में 02 सीट आवंटन करने का निर्णय लिया गया। ये सीटे निर्धारित सीमा से अतिरिक्त होंगी एवं साथ ही यू.जी. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों का भी संचालन आयुष मंत्रालय एवं राज्य सरकार की सहमति से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया तथा केन्द्र स्थापित करने हेतु रुपये पांच लाख का भी अनुमोदन किया जाता है। इस केन्द्र को सुचारु रूप से स्थापित करने एवं संचालन हेतु विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से एक निदेशक तथा कार्यालय संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाने का अनुमोदन किया जाता है।</p>
3.	<p>स्नातकोत्तर आयुष महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से कतिपय शिक्षक उच्च योग्यता एवं कौशलवर्धन हेतु पीएच.डी (पार्ट-टाईम) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं। अतः व्यवहारिक परिस्थितियों को देखते हुए, राजकीय हित में एवं शैक्षणिक तथा शोधपरक गतिविधियों के सुचारु एवं</p>	<p>सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया गया।</p>





क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	निर्बाध संचालन के लिए उपर्युक्त आर्डिनेंस में शिथिलता देते हुए स्नातकोत्तर आयुष महाविद्यालयों के पीएच.डी. शोधार्थी-शिक्षकों को स्नातकोत्तर अध्येता का सुपरवाइजर/गार्ड/को-सुपरवाइजर/को-गार्ड नियुक्त करने की अनुमति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।	
4.	राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय, सीकर द्वारा प्रेषित पत्र में आयुर्वेद एवं योग कक्षाओं के अध्यापन हेतु बायोकेमेस्ट्री टीचर, माइक्रोबायोलॉजी टीचर व बायोस्टेटीशियन के पद सृजन करने बाबत विचार-विमर्श।	प्रस्ताव राज्य सरकार से सम्बन्धित होने के कारण प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
5.	डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के एक्ट में कतिपय संशोधन करने के सम्बंध में विचार-विमर्श किया गया।	डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के एक्ट में कतिपय संशोधन हेतु एक 05 सदस्यीय समिति बनाये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के 03 सदस्य एवं यू.जी.सी. के 02 सदस्यों को नामित करने का निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
6.	डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के परिसर में संचालित नीट काउंसलिंग बोर्ड को विश्वविद्यालय के अधीन किये जाने अथवा राज्य सरकार के अन्य महाविद्यालय को अधिकृत किये जाने के सम्बंध में।	उक्तानुसार प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
7.	श्री भेंवरलाल दूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती सरदारशहर में नये बैच सत्र 2023-24 के प्रवेश होने वाले छात्र-छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रावास में रहने की स्वीकृति के सम्बंध में विचार-विमर्श।	प्रस्ताव विद्या परिषद से सम्बन्धित होने के कारण प्रथमतः विद्या परिषद से अनुमोदन करवाया जाकर आगामी प्रबन्ध मण्डल बैठक में रखा जाए।
8.	The perposal of The National education policy 2020 seeks to transform higher education by focusing on skill-based education to meet needs of industry and the ecomomy. Further, the NEP also recommends integrating vocational education with general education and strengthening industry-academia collaboration in HEIs. For	Professor of Practice & Guest faculty for best and innovative teaching and training as per ugc guidlines, Revised guidlines of 28 Jan 2019. का सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया गया।



क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	skilling of youth at the optimum level, learners are required to think like employers and employers are to think like learners. Towards this, the UGC has taken a new initiative to bring the industry and other professional expertise into the academic institutions through a new category of positions called "Professor of Practice". This will help to take real world practices and experiences into the class rooms and also augment the faculty resources in higher education institutions. In turn, the industry and society will benefit from trained graduates equipped with the relevant skills. के अनुसार लागू किये जाने हेतु विचार-विमर्श	
9	वित्त एवं लेखा समिति बैठक दिनांक 15.09.2023 को एजेण्डावार लिये गये निर्णय पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन	वित्त एवं लेखा समिति बैठक दिनांक 15.09.2023 में लिये गये निर्णयों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

उक्त कार्यवाही विवरण प्रबन्ध बोर्ड के समस्त माननीय सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया। (पृष्ठ संख्या 02 से 10 तक)।

  
सदस्य सचिव